ले.प.प्रति.सं.-05/2018-19

कार्यालय **जिला कारागार, टिहरी गढवाल** के माह **मई 2014** से **अप्रैल 2018** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री **अजय कुमार श्रीवास्तव** एवं श्री **खजान सिंह** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक **28-05-18** से **01-06-18** तक श्री **प्रेम चन्द्र**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री **राम सनेही** एवं श्री **एस. के. सिंह** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री **अभिनव सिंह**, लेखापरीक्षक द्वारा **दिनांक 29-05-14** से **03-06-14** तक श्री पी सी श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह **05/2012** से **04/2014** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **05/2014** से **04/2018** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः गढवाल परिक्षेत्र, पौडी

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रू लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	93.80	79.56	46.37	41.66	-	18.95
2016-17	-	-	131.10	85.83	47.43	41.21	-	51.50
2017-18	-	-	176.05	160.07	54.50	54.36	-	16.11

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
शून्य					

इकाई को बजट आवंटन (क्रेन्द एवं राज्य सरकार) द्‌वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई कार्यालय **जिला कारागार, टिहरी गढवाल** को श्रेणी **(सी)** की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

अधीक्षक कारागार

↓

सहायक चिकित्साधिकारी

↓

कारापाल

↓

उप कारापाल

↓

फार्मसिस्ट

↓

सहायक लेखाकार

↓

कनिष्क सहायक

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में उत्तराखण्ड गढवाल परिक्षेत्र एवं अनुपालन लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं प्रतिवेदन कार्यालय जिला कारागार, टिहरी गढवाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु माह **मार्च 2016, अगस्त 2016** एवं फरवरी **2018** को चयनित किया गया। उपरोक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद **149** के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, **1971** (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13** एवं **16** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

<u>भाग-II 'अ'</u>

प्रस्तर :---------- शून्य ------------------

<u>भाग दो ब</u>

प्रस्तर:1- रू 47.14 लाख का अनियमित व्यय किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर 12(I) के अनुसार रू 1.00 लाख से अधिक, संशोधित नियमावली 2015 के प्रस्तर 12(I) के अनुसार रू 3.00 लाख से अधिक एवं संशोधित नियमावली-2015 के प्रस्तर 12(I) के अनुसार रू 2.50 लाख से अधिक तक की सामग्री क्रय हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त किया जा सके।

कार्यालय के भोजन मद क्रय पत्रावली की जांच में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक कुल रू 47.14 लाख की विभिन्न सामग्रियों का क्रय बिना निविदा प्रक्रिया अपनायें ही किया गया है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः-

(रू लाख में)

वित्तीय वर्ष	**भोजन पर व्यय**	**कुल व्यय की गई धनराशि**
2014-15	10.00	10.00
2015-16	10.00	10.00
2016-17	9.14	914067
2017-18	18.00	18.00
योग:	47.14	47.14

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि बन्दियों को भोजन उपलब्ध कराये जाने के क्रम कारागार हेतु खाद्यान की दरें डी0एस0ओ0 द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय किये जाते है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि इकाई को डी एस ओ की दरों पर केवल गेहू, चावल एवं चीनी की दरें ही निर्धारित करने का प्राविधान है, न कि अन्य समस्त खाद्य सामग्री की क्रय दरें निर्धारित करने का शासन से कोई आदेश प्राप्त है।

अत: रू 47.14 लाख का अनियमित व्यय किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर:2- रू 10.38 लाख धनराशि का मजदूरी मद से कार्यालय प्रयोगार्थ व्ययावर्तन किया जाना।

जिस मद के लिए धनराशि आवंटित की गई है उसी मद में व्यय किया जाना चाहिए।

कार्यालय के बैंक खाते की जांच में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक बन्दियों की मजदूरी मद से कोषागार से आहरित कर बैंक खाता में रखा जा रहा है। इसी बैंक खाते में मजदूरी मद की रखी गई धनराशि से कार्यालय के उक्त वर्षो में रू 1038432 व्यय किया गया है, जो कि अनियमित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः-

क्रं0 सं0	दिनांक	धनराशि	मद का नाम जिसमें व्यय किया गया है।
1.	10.6.2015	12939	बन्दियों के उपचार
2.	10.6.2015	23500	भोजन व्यवस्था
3.	10.6.2015	52693	वन निगम को भुगतान
4.	26.6.2015	30000	कार्यालय प्रयोगार्थ
5.	21.9.2015	50000	कार्यालय प्रयोगार्थ
6.	28.9.2015	3500	भोजन व्यवस्था
7.	28.9.2015	25800	भोजन व्यवस्था
8.	29.1.2016	50000	कार्यालय प्रयोगार्थ
9.	7.4.2016	50000	कार्यालय प्रयोगार्थ
10.	1.8.2016	80000	कार्यालय प्रयोगार्थ
11.	9.9.2016	50000	कार्यालय प्रयोगार्थ
12.	26.12.2017	50000	कार्यालय प्रयोगार्थ
13.	1.3.2017	80000	कार्यालय प्रयोगार्थ
14.	6.6.2017	80000	कार्यालय प्रयोगार्थ
15.	11.9.2017	80000	कार्यालय प्रयोगार्थ
16.	3.11.2017	80000	कार्यालय प्रयोगार्थ
17.	16.1.2018	80000	कार्यालय प्रयोगार्थ
18	27.2.2018	80000	कार्यालय प्रयोगार्थ
19	27.3.2018	80000	कार्यालय प्रयोगार्थ
योग:		1038432	

उपरोक्त सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है।

अत: रू 10.38 लाख धनराशि की मजदूरी मद से कार्यालय प्रयोगार्थ व्ययावर्तन किया जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर-1-</u> भण्ड़ार में पड़ी अक्रियाशील सामग्री, अनुपयोगी खारजा सामग्रियों व खाली टिनों इत्यादि की विगत कई वर्षों से नीलामी न करना।

उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति(प्रोकयूरमेंट)नियमावली, 2008 के नियम-76 के अनुसार भण्डार पंजिका में उल्लिखित आस्तियों/सामग्री की उपलब्धता और पुरानी और निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण हेतु कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी या उसके नामिति द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च तक वार्षिक सत्यापन किया जाए।

कार्यालय, अधीक्षक, जिला कारागार, नई टिहरी के भण्ड़ार पंजिकाओं तथा सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि विगत कई वर्षों से अक्रियाशील एवं क्रियाशील खारजा सामग्रियों भण्ड़ार में पड़ी थी। जिसमे से मुख्य खारजा सामग्री का विवरण निम्नवत है-

क्र0स0	खारजा सामग्रियों का नाम	वर्तमान स्थिति	मात्रा	भण्ड़ार में पड़े रहेने की अवधि
1	मोटर साईकिल राजदूत (संख्या-यू0पी0 32बी3247)	अक्रियाशील	01	लगभग वर्ष 1999 से
2	पीतल (बर्तन)	अनउपयोगी	14.400 किलो	कारागार स्थापना से
3	लोहा(खारजा)	अनउपयोगी	220.00 किलो	कारागार स्थापना से
4	एल्युमुनियम(वर्तन)	अनउपयोगी	18.900 किलो	कारागार स्थापना से
5	ताम्बा(वर्तन)	अनउपयोगी	4.430 किलो	कारागार स्थापना से
6	प्लास्टिक(खारजा)	अनउपयोगी	54.00 किला	कारागार स्थापना से
7	पुराना जीप टायर	अनउपयोगी	6 नग	वर्ष 2012 से
6	खाली टिन-(लोहे के)	क्रियाशील	201 नग	बन्दीयों को खाद्यय सामग्री की निरन्तर सप्लाई से प्राप्त
7	खाली कट्टा प्लास्टिक	क्रियाशील	931 नग	-तदैव-
8	खाली कट्टा/खाली बोरे	क्रियाशील	5205 नग	-तदैव-

आगे भण्ड़ार पंजिकाओ के अवलोकन में यह भी पाया गया है कि भण्ड़ार पंजिका में उल्लिखित आस्तियों/सामग्रियों का सक्षम अधिकारी द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराया जा रहा था। न निष्प्रयोज्य या अक्रियाशील आस्तियों/सामग्रियों को सूचीबद्ध किया गया था। जबकि उपरोक्त नियमावली के प्रश्नगत नियम के अनुसार वार्षिक भौतिक सत्यापन कर या करवाकर अक्रियाशील एवं अनुपयोगी सामग्रियों को सूचीबद्ध करके विधिवत नीलामी की जानी चाहिए थी जोकि सक्षम अधिकारी द्वारा विगत कई वर्षों से नहीं किया गया था। अनउपयोगी, अक्रियाशील सामग्रियों तथा कारागार में राशन आपूर्ति से सम्बंधित खाली टिन, बोरों इत्यादि की समय से नीलामी नहीं होने के कारण सामग्रियों के खराब होने की पूरी सम्भावना है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व क्षति होना सुनिश्चित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए प्रत्युतर में बताया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	**भाग दो -"अ"प्रस्तर संख्या**	**भाग दो -"ब" प्रस्तर संख्या**	**पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0**
15/2012-13	शून्य	1	
11/2014-15	शून्य	शून्य	1

(ब) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेषण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
15/2012-13	भाग दो ब प्रस्तर सं0 01	प्राप्त	यथावत रखने की संस्तुति	
11/2014-15	पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0	प्राप्त	प्रस्तर को निस्तारित किया गया	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ----------- शून्य ------------------------------

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला कारागार, टिहरी गढवाल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- **शून्य**

सतत् अनियमिततताएः- **शून्य**

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

क्रंम संख्या	नाम	पद नाम	कार्यकाल अवधि
.1	श्री प्रवेश चन्द्र डंडरियाल	ए0 डी0 एम0	13.06.12 से 27.07.15
.2	डॉ0 अभिषेक त्रिपाठी	ए0 डी0 एम0	27.07.15 से 18.09.15
.3	श्री बृजेश तिवारी	ए0 डी0 एम0	18.09.15 से 09.06.16
4	श्रीलक्ष्मी राज चौहान	ए0 डी0 एम0	09.06.16 से 21.07.16
5.	श्री के0के0 मिश्र	ए0 डी0 एम0	21.07.16 से 28.07.16
6.	श्री बृजेश तिवारी	ए0 डी0 एम0	28.07.16 से 11.10.16
7	श्री चतर सिंह चौहान	ए0 डी0 एम0	11.10.16 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला कारागार, टिहरी गढवाल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र